न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 51/2024
अनवान : –

1. छोटूराम पुत्र रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबस उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुलाबसिंह पुत्र रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. बाला पुत्री रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. गोमती पुत्री जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता **वादी**
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः– 05/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 227/230 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबस उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 285/283 की कुल 4.1852 हैक्ट भूमि में से 4993/41852 हिस्सा भूमि रूपराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रूपराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है रूपराम पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है एवं वादी की माता मीरा भी फौत हो चुकी है तथा वादी का एक भाई मंगतुराम भी लावल्द फौत हो चुका है इनकी फौतगदी के बाद इनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की तरफ से श्री चन्द्रशेखसर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ललानाबास उतरादा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 227/230 व 285/283, सरपंच ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा द्वारा तस्दीक वारिसान प्रमाण पत्र, वारिसान एवं मंगतुराम के लावल्द फौत होने बाबत शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रूपाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र मंगतु आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता है रूपराम पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है एवं वादी की माता मीरा भी फौत हो चुकी है तथा वादी का एक भाई मंगतुराम भी लावल्द फौत हो चुका है इनकी फौतगदी के बाद इनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 227/230 की कुल 3.23[illegible] हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबस उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 285/[illegible] की कुल 4.1852 हैक्ट भूमि में से 4993/41852 हिस्सा भूमि रूपराम पुत्र चुनीराम के [illegible] दर्ज है, वादी का कथन है कि वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पिता है रूपराम पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है एवं वादी की माता मीरा भी फौत हो चुकी है तथा वादी का एक भाई मंगतुराम भी लावल्द फौत हो चुका है इनकी फौतगदी के बाद इनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा रूपराम पुत्र चुनीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 227/230 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबस उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 285/283 की कुल 4.1852 हैक्ट भूमि में से 4993/41852 हिस्सा भूमि रूपराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है, में मृतक रूपराम पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 51/2024

अनवान : –

1. छोटूराम पुत्र रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबस उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुलाबसिंह पुत्र रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. बाला पुत्री रूपाराम जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. गोमती पुत्री जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 51 सन 2024 निर्णय दिनांक - 05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री चन्द्रशेखर तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 227/230 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबस उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 285/283 की कुल 4.1852 हैक्ट भूमि में से 4993/41852 हिस्सा भूमि रूपराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है, में मृतक रूपराम पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested